

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/181/2019

तारीख रजु 15.11.2019

उनवान

1. निन्नो देवी पत्नि मुबारक अली जाति मुसलमान निवासी ग्राम गद्दीपुरा  
तहसील हिण्डौन जिला करौली

-----वादी

बनाम

1. असलम पिसरान गफ्फार वगैरह जाति मुसलमान निवासी गद्दीपुरा तहसील  
हिण्डौन जिला करौली

-----प्रतिवादीगण(08)

उपस्थिति:-

सायला की ओर से :- श्री रामदयाल गुप्ता एडवाकेट।

गैरसायलान की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 13.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर वकालतन एक दावा निवासी गद्दीपुरा  
तहसील हिण्डौन जिला करौली के खसरा नंबर 790, 799 के दावा पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।  
इसी दौरान वादी वकील द्वारा दिनांक 13.12.2019 को निवेदन किया कि उनका वादी  
दावा नहीं चलाना चाहते हैं। दावा नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः वादी का वाद मुकदमा नंबर 181/2019 निन्नो देवी बनाम असलम नोट  
प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



13.12.19  
(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन  
हिण्डौन सिटी जिला करौली

